फर्द अहकाम(नियम 26)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)

दौलतराम गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

फौजदारी अपील संख्या 170/2025

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील हुए
08.06.2026	अपीलार्थी दौलतराम गुप्ता मय विद्वान अधिवक्ता श्री जयकिशन उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 01 राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 02 शिक्षा कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पिंटू जैन उपस्थित। अपीलार्थी दौलतराम की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण संख्या 01, अलवर के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री तुषार शर्मा द्वारा उनके न्यायालय में लंबित नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 1209/2015 शिक्षा कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड बनाम दौलतराम गुप्ता में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 14.05.2025 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में 06 माह के साधारण कारावास एवं 2,80,000/-रूपये की प्रतिकर राशि, अदम अदायगी प्रतिकर राशि, 15 दिन के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। इस अपील में उभयपक्ष को मध्यस्थता से सुलह करने के लिए मध्यस्थता केन्द्र अलवर भेजा गया था। मध्यस्थता केन्द्र, अलवर से प्रकरण में मध्यस्थता की कार्यवाही के पश्चात दोनों पक्षों में सहमति होने से उनके मध्य निष्पादित समझौता पत्र भी न्यायालय में भेजा गया है। समझौता पत्र के अनुसार दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से फुल एण्ड फाइनल सैटलमेंट 3,45,000/-रूपये में किया जाना तय पाया है, जिसकी अदायगी अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा 05 किश्तों में अदा किया जाना तय पाया गया तथा दौराने विचारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा 56,000/-रूपये की राशि भी परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा प्राप्त किये जाने के संबंध में राजीनामा हुआ है। राजीनामा के अनुसार 05 किश्तों में भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 को किया जाना, आज दोनों पक्षों ने जाहिर किया है और दोनों पक्षों ने राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण चाहा है। समझौता पत्र के अनुसार 05 किश्तों की राशि फुल एण्ड फाइनल सैटलमेंट के तहत परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 को दी जा चुकी है और शेष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा 56,000/-रूपये की राशि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 प्राप्त करने का अधिकारी है।	

	चूंकि दोनों पक्षों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या -01 अलवर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 14.05.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा 56,000/-रूपये की राशि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 शिक्षा कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड प्राप्त करने की अधिकारी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	